दिनांक 13.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 14/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद हरदोई/थाना बेनीगंज</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 13.06.2024 को थाना बेनीगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मढ़िया तिराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना बेनीगंज पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बेनीगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—दीपक निवासी ग्राम शहबादपुर थाना बेनीगंज जनपद हरदोई।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना कठेला समयमाता</u>

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 13.06.2024 को थाना कठेला समयमाता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सोनबरसा पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना कठेला समयमाता पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दिनेश निवासी तौलिहवा टोला कचरिहवा थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर।

जनपद कुशीनगर/थाना चौराखास

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.06.2024 को थाना चौराखास पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त असजद को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना चौराखास पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चौराखास पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—असजद निवासी ग्राम दूबे टोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—58

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत के 08 कुन्तल अवैध गांजा**
- **लगभग 60 लाख रूपये कीमत के 02 हजार लीटर पेस्टिसाइड**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कन्टेनर ट्रक, 01 मारूति सियाज कार बरामद**

दिनांक 12.06.2024 को थाना सेक्टर—58 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर—62 गोल चक्कर के पास से 03 अभियुक्तों 1—सुदामा

2–अनीश 3–प्रवीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत के 08 कुन्तल अवैध गांजा, लगभग 60 लाख रूपये कीमत के 02 हजार लीटर पेस्टिसाइड, घटना में प्रयुक्त 01 कन्टेनर ट्रक, 01 मारूति सियाज कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–58 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुदामा निवासी ग्राम नया हरिपुर थाना कोईलवर जनपद भोजपुर आरा बिहार।

2–अनीश निवासी ग्राम ढ़ाढ़ोला थाना पिनगुआ जनपद नूँह हरियाणा।

3–प्रवीन निवासी ग्राम रघुनीपुर थाना उद्धन्तनगर जनपद भोजपुर आरा बिहार।

बरामदगी

1–लगभग 04 करोड़ रूपये कीमत के 08 कुन्तल अवैध गांजा।

2–लगभग 60 लाख रूपये कीमत के 02 हजार लीटर पेस्टिसाइड।

3–घटना में प्रयुक्त 01 कन्टेनर ट्रक, 01 मारूति सियाज कार।

एएनटीएफ थाना सहारनपुर

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 53 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 266 ग्राम अवैध स्मैक**
- **नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 12.06.2024 को एएनटीएफ थाना सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचेण्डा फलाई ओवर के पास दिल्ली हरिद्वार रोड़ थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर से अभियुक्त अकील अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 53 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 266 ग्राम अवैध स्मैक, नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकील अहमद निवासी नई बस्ती थाना फतेहगंज पश्चिम जनपद बरेली।

बरामदगी

1—लगभग 53 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 266 ग्राम अवैध स्मैक।

2—नगद रूपये, 01 मोबाइल फोन।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद**

दिनांक 12.06.2024 को थाना दादरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घोडी बछेडा गोल चक्कर के पास से 02 अभियुक्तों 1—दीपक कुमार 2—अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 30 लाख अवैध गांजा, घटना में प्रयुक्त 01 कार बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—दीपक कुमार निवासी ईस्ट गोकलपुर थाना ज्योतिनगर दिल्ली।

2—अजय निवासी ईस्ट गोकलपुर थाना ज्योतिनगर दिल्ली।

बरामदगी

1—लगभग 22 लाख रूपये कीमत के 01 कुन्तल 30 किलोग्राम अवैध गांजा।

2—घटना में प्रयुक्त 01 कार।

➢ **जनपद मुजफ्फरनगर (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 50 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस ने अभियुक्त सुशील उर्फ मूंछ पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम मथेडी थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी

अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 50 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद मीरजापुर/थाना हलिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 45–45 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मीरजापुर द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/302/201/406 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–डेविड जोशव 2–अमित कुमार 3–गुलाबचन्द्र को आजीवन कारावास व 45–45 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद आजमगढ़/थाना गम्भीरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323/325/324 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जुबेर अहमद उर्फ नन्हू को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद इटावा/थाना बकेवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(3) भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चन्द्रकिशोर को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र हौसिला प्रसाद सिंह गिरफ्तार।

दिनांक 12–06–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र हौसिला प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

शैलेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र हौसिला प्रसाद सिंह, निवासी बनगॉव, थाना भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

ईशीपुरपुल अण्डर पास, थाना चांदा, जनपद सुल्तानपुर। दिनांक 12–06–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में एसटीएफ अयोध्या टीम जनपद सुलतानपुर में भ्रमणशील थी, इस दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू जनपद सुल्तानपुर के थाना चांदा क्षेत्रान्तर्गत ईशीपुर अण्डरपास से मौजूद है जो कहीं जाने की फिराक में है। यदि शीघ्रता की जाय तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई अयोध्या द्वारा विश्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर शैलेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र हौसिला प्रसाद सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर का हिस्ट्रीशीटर है तथा मु0अ0सं0 46/2024, धारा 386, 211, 182, 195, 120बी भादवि में वांछित एवं रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी से बचने हेतु लगातार स्थान बदल–बदल कर छिपकर रह रहा था।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त शैलेन्द्र सिंह उर्फ बब्लू को मु0अ0सं0 46/2024 धारा 386, 211, 182, 195, 120बी भादवि में थाना चांदा, जनपद सुलतानपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :–</u>

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	79/06	323/504/506 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
2	84/07	307 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
3	143/07	3/25 आर्म्स एक्ट	भीटी	अम्बेडकरनगर
4	95/08	3/4 गुण्डा एक्ट	भीटी	अम्बेडकरनगर
5	199/13	170/419/420/504/506 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
6	104/14	392 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
7	75/16	147/504/506 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
8	137/19	506 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
9	138/19	506 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
10	766/08	3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट	भीटी	अम्बेडकरनगर
11	455/11	419/420/506 भा0द0वि0	लम्भुआ	सुलतानपुर
12	311/14	419/420/506 भा0द0वि0	गोसाईगंज	सुलतानपुर
13	271/15	409/419/420/467/468/471 भा0द0वि0	गोसाईगंज	सुलतानपुर
14	277/19	406/420/506 भा0द0वि0	चिनहट	लखनऊ
15	108/21	409/419/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
16	07/22	314 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
17	210/22	352/504/506 भा0द0वि0	भीटी	अम्बेडकरनगर
18	07/24	323/504/506/452/394 भा0द0वि0 एवं 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट	भीटी	अम्बेडकरनगर
19	46/24	386/211/182/195/120बी भा0द0वि0	चांदा	सुलतानपुर

——————